(1)

संख्या सा-3-17/दस-3-78

प्रेषक,

श्री कुलदीप नारायण भटनागर,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 1980 ।

विषय :—सैनिक पेंशनरों का सिविल पद पर पुनर्योजन किये जाने पर वेतन निर्धारण की सामान्य नीति—सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स का अनुच्छेद-526 ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 526 के अधीन यह प्राविधान है कि यदि कोई सैनिक कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेना से निवृत्त होता है और उसे सिविल पद पर पुनर्योजित किया जाता है तो उसका वेतन निर्धारित किये जाने में उसकी सैनिक पेंशन के प्रथम 50 रु० तक की धनराशि उपेक्षित कर दी जाती है । वेतनमानों में सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों के वेतन निर्धारण किये जाने में पेंशन की धनराशि उपेक्षित किए जाने की सीमा को भी बढ़ाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था । इस प्रश्न पर भलीभांति विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि सिविल पदों पर पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों का वेतन निर्धारण करते समय सैनिक पेंशन की धनराशि निम्न प्रकार से उपेक्षित की जायगी :—

(1) यदि सैनिक पेंशन की धनराशि 125 रु० प्रतिमाह से कम हो, तो वास्तविक पेंशन,
(2) अन्य दशाओं में, सैनिक पेंशन के प्रथम 125 रुपए ।

2—इन आदेशों के प्रयोजन के लिये पेंशन के अन्तर्गत शुद्ध (नेट) पेंशन के साथ मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपादान की पेंशन समतुल्य धनराशि भी सम्मिलित रहेगी ।

3—पुनर्योजन ग्रहण करने पर संबंधित कोषागार सैनिक पेंशनरों से उनके पुनर्योजन से संबंधित समस्त विवरण प्राप्त करते हैं । इस विवरण को प्राप्त करने का उद्देश्य यह होता है कि पुनर्योजन की अवधि में सैनिक पेंशनर को उसकी पेंशन पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राहत या तदर्थ वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है, अर्थात् ऐसे सैनिक पेंशनर पुनर्योजन की अवधि में वेतन तथा महंगाई भत्ता तथा शुद्ध पेंशन ही आहरित करते हैं । भारत सरकार ने दिनांक 2-12-1976 से उपर्युक्त व्यवस्था में संशोधन कर दिया है । संशोधित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 29-12-1976 को अथवा इस तिथि के उपरान्त सिविल पद पर पुनर्योजित सैनिक पेंशनर अपने वेतन के साथ-साथ अपनी सैनिक पेंशन की धनराशि तथा उस पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राहत की धनराशि भी आहरित तो करते रहेंगे, परन्तु पुनर्योजन की अवधि में सिविल पद पर देय वेतन तथा महंगाई/अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राहत की धनराशि को समायोजित कर लिया जायगा ।

4—यह आदेश दिनांक 1 अगस्त, 1978 से प्रभावी समझे जायेंगे । शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 1-8-1978 को सिविल पदों पर पुनर्योजित थे उनका वेतन इस संशोधन का विकल्प कर लेने पर तदनुसार उक्त तिथि से पुनः निर्धारित किया जायगा । इस प्रकार विकल्प को लेने पर उनका वेतन नये रूप में इस प्रकार निर्धारित किया जायगा जैसे कि वे प्रथम बार उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 1-8-1978 को पुनर्योजित हुए हों । विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि के 6 मास के भीतर लिखित रूप से करना होगा तथा एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

भवदीय,
कुलदीप नारायण भटनागर,
उप सचिव ।

संख्या सा-3-17 (1)/दस-3-78, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1 एवं 3, इलाहाबाद तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-2, लखनऊ ।
2—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, 510/217, नया हैदराबाद, लखनऊ ।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4—निदेशक, सैनिक कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,
शिवशंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 74 सा० भाषा—25-1-80—(3443)—1980—10,000 (मैग०) ।